25.1.2021	वकील फरीकेन उपस्थित पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। TOR करौली को पत्थरगढ़ी बाबत तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 26/2/2021 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 ~~09/2020~~ 66/2017

आर.सी.एम.एस ~~2019/00001~~ 2017/00147

तारीख रजू ~~02.01.2019~~ 6.12.2017

1. गोपाल लाल गुप्ता स्व0 श्री राधेश्याम आयु 61 जाति महाजन निवासी चौधरीपाडा तहसील करौली जिला करौली।

—वादी

बनाम

2. अब्दुल अजीज पुत्र स्व0 श्री वशीर खान आयु 65 जाति मुसलमान निवासी बजीरपुर दरवाजे बाहर तहसील करौली जिला करौली।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 128 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः 25.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत है कि वादी के दादा मूलाचन्द पिता राधेश्याम की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 4899,4902 लगायत 4909,4918,4919,4921 लगायत 4929,4932/1,4933/1 कुल किता 22 कुल रकवा 19.00 वीधा 0.08 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का न09 करौली में स्थित है उक्त आराजी पर वादी व वादी की मॉ व भाई गोविन्द काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और फसल लाभ प्राप्त कर रहे है। प्रतिवादी के पिता वंशीर की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4776,4778 लगायत 4783,4920 कुल किता 7 कुल रकवा 4.00 वीधा 0.07 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का न09 करौली में स्थित है। जिसका प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है खसरा नम्बर 4922 से लगी हुयी आराजी खसरा नम्बर 4920 है एवं खसरा 4921 से लगी हुयी आराजी खसरा नम्बर 4779 एवं 4780 है उक्त आराजी सडक से 15—20 फीट की नीचाई में है। प्रतिवादी अप्रार्थी न01 कानून से निडंर व झगडालू किस्म का व्यक्ति है और आये दिन ताक़त व लटठ् क`वल पर वादी के पूर्वज व पिता के समय की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4921,4922 में जो मिटट्ी व डॉल व ढाय हक वंदी सीमाकंन हेतु मौके पर वनी हुयी है। उन डॉल व ढाय को खुदवाकर अपनी आराजी खसरा नम्बर 4920,4780 ,4779 में मिलाने की चेष्टा में रहता है और इसी वरकिसा बदनीयति से प्रतिवादी न01 ने दिनांक 28.11.2017 की रात्रि मं जे0सी0बी0 मशीन से खसरा नम्बर 4... में बनी हुयी डॉल व ढायों को तुड़वाकर खसरा नम्बर 4920,4779,4780 में मिला कर दिया जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 29.11.2017 को होने पर वादी व उसके भाई गोविन्द प्रसाद द्वारा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न01 से कहनसुन की और कहा तो प्रतिवादी आमादा फिसाद हो गया और ऐलानिया कहा कि मैं तो ऐसे ही तुम्हारी आराजी खसरा नम्बर 4921,4922 में बनी डॉल व ढायों को जे.सी. वी.से खुदवाकर अपनी जमीन खसरा खसरा नम्बर 4920 में मिलवाकर उसे समतल कराउगा तुम पर करा जाऐ जो कर लेना वादी ने प्रतिवादी न01 से यह तक कहा कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 4920,4779,4780,4921,4922 की पटवारी हल्का से मुताविक ट्रेस सीमावंदी कराकर पत्थर गढी करावा लेगें और उसके वाद अपने हिस्से की आराजी मं वाउण्ड्रीवाल करवा लेगे उक्त बात को सुकर प्रतिवादी नाराज हो गया और नापतौल पत्थर गढी सीमाकंन कराने से इन्कार हो गये तव वादी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादी वादग्रस्त आराजीयात की सीमांकन पत्थर गढी कराने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 4921,4922 के पर कभी भी कब्जा काश्त प्रार्थी नही रहा है ना ही वर्तमान में है खसरा नम्बर 4922 के रकवे 1.00 वीधा में कब्रे वनी हुयी है। और विगत 50 वर्षो से बंजड पडी हुयी है खसरा नम्बर 4921 पर अप्रार्थी के पिता वंशीर का कब्जा काश्त चला रहा है। अप्रार्थी के पिता ने खसरा नम्बर 4921 के रकवे को अपनी जिस्मानी मेहनत से समतल कराकर काविल काश्त बनाया था और तभी से लगातार उसमें प्रार्थी के पिता काश्त करते आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है और काविज है जिसकी पूर्ण जानकारी प्रार्थी के पिता व बाबा को शुरू से ही रही है। खसरा नम्बर 4922 का तल खसरा नम्बर 4921 से उचा है इस प्रकार दोनो नम्बरान पर विगत 50 वर्षो से कोर्द काश्त प्रार्थी व उसके पिता व बाबा की नही रही है। दोनो नम्बरान पर कब्जा खुले है तब से वगैर किसी रोक टोक के लगातार 12 वर्ष से अधिक समय से मुखालफाना प्रार्थी व उनके पूर्वजों की जानकारी मे प्रार्थी व उसके पिता का चला आ रहा है एडर्वस पजेशन के आधार पर आप्रार्थी को अधिकार उदभूत हो चुके है। अप्रार्थी के पिता से पूर्व सावित्र मालिक का उक्त आराजी पर कब्जा था कोई डॉल मौके पर हदबन्दी भी नही हो रही है। खसरा नम्बर 4921 के रकवे पर कब्जा अप्रार्थी व पिता अप्रार्थी का चला आ रहा है उवड खावड जमीन को समतल करके काबिल काश्त बनाया है जिस पर काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान मे भी काबिज है। खसरा नम्बर 4922 में मुर्दे दफनाये जाते रहे है जिसमें कब्रे अप्रार्थी को परिवार के व्यक्तियों की बनी हुयी है जिन्हे मौका कमश्न द्वारा अवलोकन कराया जा सकता है। दोनो नम्बरों पर 50 वर्ष से कोई कब्जा काश्त प्रार्थी नही रहा है पक्षकार के मध्या हकवन्दी का विवाद ना होकर पुराने कब्जे का है इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्रू नही है। प्रार्थी को धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिए दिनांक 28.1.2017 को कोई जे.सी.बी.अप्रार्थी द्वारा नही चलवाई गयी ना ही कोई तोडफोड डॉल व ढाये की गयी है ना ही कोई धमकी दी है। समस्त तथ्य गलत प्रार्थी ने दर्ज किये है। कोई वातचीत पक्षकारान के मध्य नही हुयी है। प्रार्थी ने सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया है। ना ही सहखातेदार की सहमति से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वहस वकील उभयपक्ष कारान का मनन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से खसरा नम्बर 4921,4922 प्रार्थी के भाई गोविन्द प्रसाद व मॉ के खातेदारी में अंकित है खसरा नम्बर 4920 अप्रार्थी के पिता के खातेदारी में अंकित है नम्बरान ट्रेस फोटो कॉपी से खसरा नम्बर 4920,4921,4922,4779,4780 की सीमा लगी हुयी हैं जिससे पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात की सीमांकन पत्थरगढी कराने का वादी प्रार्थी अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी वादी स्वीकार किया जाता है। वादी प्रार्थी खसरा नम्बर 4920,4921,4922,4779,4780 कस्वा करौली पटवार हल्का न09 तहसील करौली की पत्थरगढी गैरसायल न02 तहसीलदार करौली से करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार करौली को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्ति कर आदेश दिये जाते है कि वह वादग्रस्त आराजीयात की उभयपक्ष को सूचित कर सीमांकन कर पत्थरगढी करावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी वादी अदा करेगा। तहसीलदार करौली को निर्णय प्रति के साथ तहरीर जारी हो । पत्रावली दिनांक 26.02.2021 को पेश हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी।
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:26:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner